महिला सशक्तीकरण: झुंझुनूं जिले में ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''

राजनीति विज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि हेतु

शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशिका

जेवीएन डॉ. सपना गहलोत

शोधार्थी

जेवीएन काजल चौधरी

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एडं मेथडोलॉजी

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,

जयपुर (राजस्थान) भारत

2021

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	1–7
2	उद्देश्य	8
3	शोध परिकल्पना	9
4	विषय एवं अध्ययन क्षेत्र	10–12
	महिला सशक्तीकरण: झुंझुनूं जिले में ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन	
5	अध्ययन की रूपरेखा	13–14
6	साहित्य अवलोकन	15–19
7	प्रस्तावित शोध पद्धति	20–21
8	शोध प्रश्न	22
9	संदर्भ ग्रंथ सूची	23–24
10	शोध ग्रंथावली	25
11	वेब लिंक्स	26

पृष्ठभूमि

पिछले कुछ वर्षों में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है तथा सशक्तीकरण, जनतान्त्रिक, सामाजिक तथा महिला आन्दोलनों का प्रमुख लक्ष्य बन गया है। महिला जो मानव समाज का लगभग 50 प्रतिशत है का देश की आर्थिक तथा सामाजिक व्यववस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि आज जीवन की सभी गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

आज महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी बढी है। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढनें से उनमें सामाजिक चेतना का भी संचार हुआ है। महिलाएं कृषि उद्योग, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, आवास तथा अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है। महिला आजीविका अर्जित करने वाली, उद्यमी और समाज सुधारक भी है। हमारे समाज और जीवन में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हों जिसमें महिलाओं की उपस्थिति ना हो।

हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके है। भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बहुत अधिक विभिन्नता के बावजूद पिछली अर्द्धशताब्दी में भारतवर्ष की राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है।

महिला सशक्तीकरण एक विश्वव्यापी मुद्दा है। विश्व के सभी औपचारिक और अनौपचारिक आन्दोलनों में स्त्री अधिकारों का चिन्तन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महिला सशक्तीकरण की चर्चा पूरे विश्व में है तथा यह एक सक्रिय तथा बहुआयामी प्रक्रिया है जो

जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उनकी सक्रियता और शख्सियत का बोध कराता है। सुषमा सहाय के अनुसार शक्ति ना तो कोई वस्तु है जिसका लेन देन किया जा सकता है और ना ही इसको प्राप्त किया जाता है तथा एक बार प्राप्त किए जाने के बाद इस शक्ति का उपयोग तथा परीक्षण किया जाना चाहिए।

डॉ. वैशाली के अनुसार महिला सशक्तीकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री–पुरूष में भेदभाव कों कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया है।

सशक्तीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों कों अपने जीवन की परिस्थितियों को नियन्त्रित करने के बेहतर अवसर मिल जाते है।

सशक्तीकरण की आवश्यकता –

महिलाओं के साथ गर्भ से समाधि तक भेदभाव सुविख्यात है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमन – 1988 – 2000 में भारत में महिलाओं की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा गया कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण तथा विधिक क्षेत्रों में शोषित है अतः सभी क्षेत्रों में उनका सशक्तीकरण आवश्यक है।

लैंगिक असमानता एक सार्वभौमिक तथ्य है। विश्व के अधिकांश समाजों में महिलाओं के साथ परम्परा और कानून के द्वारा विभेद किया जाता है। इस प्रकार इव समाज का वंचित वर्ग है। इसी असमानता को दूर करने के लिए महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

1995 में बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व सम्मेलन में किए गए कमिटमेन्ट को पूरा करने हेतु हमारे देश में वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति निर्धारित की गई।

लगभग सभी समुदायों में विद्यमान लिंग असमानता को कम करने की दिशा में महिला सशक्तीकरण को मुख्य आधार के रूप में देखा गया।

सशक्तीकरण शब्द से वह प्रक्रिया अभिप्रेरित है जिसके द्वारा शक्तिहीन अपने जीवन की अवस्थाओं पर अधिक नियन्त्रण प्राप्त करतें है। यह मात्र समस्याओं पर नियन्त्रण प्राप्त करना ही नही है अपितु अधिक आत्मविश्वास तथा पुरूषों के साथ समानता के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता भी है। महिला सशक्तीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि पुरूष वर्ग लिंग भेद के प्रति सचेत हो तथा परम्परागत पुरूषत्व की परिभाषा को बदले।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढाने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया के क्रम में सरकार द्वारा उठाया गया वह कदम है जो महिलाओं की स्थानीय राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करता है तथा उनका राजनैतिक समाजीकरण करता है।

राजनैतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक सदस्य राजनैतिक वास्तविकताओं, राजनैतिक व्यवहारों को सीखता तथा राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। इस प्रकार राजनैतिक समाजीकरण का संबोध मतदाताओं, राजनेताओ, राजनैतिक दलों के व्यवहारों को समझने एवं इन सबको अपने अंतर्सबंधों को समझने में सहायक है।

भारतीय राजनीति में महिलाएं –

भारत में पंचायत तथा नगरीय स्थानीय निकायों स्तर पर लाखों स्त्री प्रतिनिधि है जो शेष विश्व की कुल स्त्री नेत्रियों से अधिक है। इन ग्रामीण एवं नगरीय स्वायतशासी संस्थाओं में स्त्रियों का यह प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान में क्रमशः 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन जिसमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, द्वारा संभव हो सका।

73 वां संविधान संशोधन –

यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है। इस संविधान में माध्यम से प्रत्येक पंचायती राज संस्था के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इससे संदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आंवटन बारी – बारी से किया जाता रहेगा।

74 वां संविधान संशोधन –

इस संशोधन के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम एक तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति व जनजाति की

महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगें और इन स्थानों का भी बारी – बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन किया जाता रहेगा।

ग्राम पंचायतों में नेतृत्व एवं महिला सशक्तीकरण –

स्वतंत्रता से पूर्व की शक्ति संरचना एवं पंचायती राज की स्थापना के पूर्व तक गांवों में महिला प्रतिनिधित्व नहीं था। इस अर्थ में पंचायती राज की संकल्पना ने महिला जन प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। पंचायती राज की स्थापना के पश्चात् कुछ ग्राम पंचायतों में महिलाओं को मनोनीत किये जाने की जानकारी मिलती है परन्तु इसका प्रतिशत नगण्य ही रहा। महिला आरक्षण के द्वारा ही पहली बार महिलाएँ नवीन प्रावधानों से निर्वाचित होकर राजनैतिक सहभागी बनी। निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का विशेष प्रशिक्षित ज्ञान नहीं है तथा राजनीतिक अनुभव की भी कमी है। इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तथा अधिकांशतः इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है। इनमें निर्णय लेने की योग्यता एवं क्षमता का भी अभाव है। अधिकांश भूमिकाओं का निर्वहन या तो महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों द्वारा किया जाता रहा है। यदि पति की राजनीति में रूचि नहीं है तो विशिष्ठ वर्ग एवं राजनैतिक दलों के प्रभावी नेताओं द्वारा निर्णय को प्रभावित किया जाता है।

इन महिला प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की जानकारी के अभाव ने उन्हें संकुचित व्यवहार पर निर्भर कर दिया है जिसका लाभ प्रभावशाली सत्ता के पुरूषों द्वारा उठाया जा रहा है जो राजनीति में पहले से ही जमे हुए हैं। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों

में यद्यपि महिलाओं को आगे आने के अनेक अवसर प्रदान किये हैं परन्तु वे प्रशिक्षित न हो पाने के कारण स्वतंत्र भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं।

निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को पद के अनुरूप तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देने की वर्तमान प्रणाली से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि निर्णय को प्रभावी बनाने, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्र के विकास एवं प्रशासनिक तालमेल बनाने की दृष्टि से उनको प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण कई मामलों में अपूर्ण है वहीं महिलाओं की परम्परागत सोच भी उन्हें आगे बढ़कर कुछ करने से रोकती है।

राजस्थान में महिलाओं की राजनीति में भूमिका – राजस्थान सरकार ने पंचायती राज से संबंधित पूर्व के दोनों अधिनियमों (पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1959) को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिप्रेक्ष्य में नया पंचायती राज अधिनियम 1994 तैयार कर 23 अप्रैल 1994 से राज्य में लागू कर दिया अब राज्य की संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था जिसमें 9187 ग्राम पंचायते, 237 पंचायत समितियां तथा 32 जिला परिषदें शामिल है। इस अधिनियम के प्रावधानों नियमों एवं उपनियमों से संचालित होगी। राज्य सरकार ने नए अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने के नियम एवं उपनियम बनाकर लागू की। जिनके अनुरूप वर्ष 1994 के अंतिम माह में राज्य की पंचायती राज व्यवस्थाओं के तीनो स्तरों की सभी संस्थाओं के चुनाव कराए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद राज्य में कुल 1 लाख 19 हजार 419 जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए है जिनमें से 38 हजार 791 महिलाएँ लगभग 15 हजार अन्य पिछडा वर्ग के 20 हजार 712 अनुसूचित जाति एवं लगभग 18 हजार अनुसूचित जनजाति के

जन–प्रतिनिधि है। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में पहली बार इतनी अधिक मात्रा में समाज के इन कमजोर वर्ग के लोगों एवं महिलाओं की राज्य के ग्रामीण विकास में तीनों ही स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित की गई। राजस्थान के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी कई स्थितियों में चुनावी परिणाम महिलाओं की सहभागिता के संबंध में बहुत आशाप्रद रहे।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न महत्व दृष्टिगत है –

1. 74 वें संविधानिक संशोधन के प्रभाव का पता करना।
2. राजनीति में महिलाओं की वास्तविक प्रस्थिति का पता करना।
3. महिलाओं के राजनीति में प्रवेश की प्रमुख समस्याओं को जानना।
4. महिला सशक्तीकरण तथा राजनीति की वास्तविक स्थिति का पता लगाना।
5. महिला जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

1. अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला प्रतिनिधि को सामाजिक अवरोधों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. राजनीति में महिला प्रतिनिधियों की जागरूकता बढ़ रही है।

3. ग्रामीण महिला उत्थान में महिला प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

विषय एवं अध्ययन क्षेत्र

विषय – महिला सशक्तीकरण : झुंझुनूं जिले में ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्र –

ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो निचले स्तर तक शक्ति एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करती है इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामवासी, हर वर्ग, हर श्रेणी, हर इकाई निर्णय व नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता निभाते है। 1957 में बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने सिफारिश प्रस्तुत की कि ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाये। उनकी सलाह पर राज्यों में पंचायतों के गठन का प्रयास किया गया। 2 अक्टूबर, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ से लेकर 73वें संविधान संशोधन के पूर्व तक ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण विकास एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण के उद्‌देश्य से इसे प्रारम्भ किया गया था। यद्यपि उसके आशातीत सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आये लेकिन इसके अस्तित्व में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व पिछड़े वर्गों को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से शासन का अधिकार मिला। वहीं महिलाओं की भूमिकाओं का पंचायतों में बढ़ता प्रभाव इसके सकारात्मक पक्ष है।

बलवंत राय मेहता समिति के गठन के एक दशक बाद अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करके दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने

की सिफारिश की। 1985 में राव समिति ने भी पंचायतों को सफल बनाने के लिये अनेक सिफारिश कीं। उसके एक वर्ष पश्चात् 1986 में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एम.एल. सिंघवी ने पंचायतों को संविधान के नौवें हिस्से में रखने की अनुशंसा की। जिसके लिये संविधान संशोधन आवश्यक था। इस तरह दिसम्बर, 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जाँच के बाद पारित हुआ, जो 24 अप्रैल, 1992 के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बना। इस अधिनियम के बाद सभी राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियम कानून में संशोधन किये।

शोध में पंचायती राज में झुंझुनूं की ग्राम पंचायतों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया जाएगा।

झुंझुनूं जिले का संक्षेप में विवरण

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित झुंझुनू, झुंझुनू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। जिला अपने बहादुर सैनिकों, प्रसिद्ध पुत्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने पूरे देश में वित्तीय साम्राज्य स्थापित किए हैं और पर्यटक रुचि के कई स्थान हैं। रानी सती मंदिर इस शहर का एक प्रसिद्ध स्थल है। झुंझुनू का कुल क्षेत्रफल 9.64 वर्ग किलोमीटर है। शेखावाटी के बाकी हिस्सों की तरह, शहर के आसपास का क्षेत्र अर्ध–शुष्क है और इसके पास कोई नदी या झील नहीं है। झुंझुनू जिले में 6 तहसील है, इन तहसीलों के नाम 1. बुहाना 2. चिडावा 3. झुंझुनू 4. खेतड़ी 5. नवलगढ़ और 6. उदयपुरवाटी, ग्रामो की संख्या के आधार पर झुंझुनू तहसील सबसे बड़ी तहसील है और उदयपुरवाटी तहसील सबसे छोटी तहसील है।

जिला-झुंझुनू
सुरजगढ़
चिड़ावा
मलसीसर
झुंझुनू
बुहाना
खेतड़ी
नवलगढ़
उदयपुरवाटी

अध्ययन की रूपरेखा

1. महिला सशक्तीकरण : एक परिचय

2. महिला राजनीतिक सहभागिता के परिवर्तनशील आयाम : झुंझुनूं के संदर्भ में

3. महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक सशक्तीकरण की वर्तमान स्थिति

4. महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक सशक्तीकरण का प्रभाव

5. राजनीति में महिलाओं की समस्याऐं एवं समाधान

6. निष्कर्ष

प्रथम अध्याय – महिला सशक्तीकरण : एक परिचय में महिला सशक्तीकरण की परिभाषा, क्षेत्र, कार्य और सिद्धांतों के साथ वैश्विक, राष्ट्रीय, राजस्थान और जयपुर के संदर्भ में महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधित द्वितीयक तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा।

द्वितीय अध्याय – महिला सशक्तीकरण के परिवर्तनशील आयाम : झुंझुनूं के संदर्भ में प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों के आधार पर जयपुर में महिला सशक्तीकरण के परिवर्तनशील आयामों का विश्लेषण किया जाएगा।

तृतीय अध्याय – महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक सशक्तीकरण की वर्तमान स्थिति में प्राथमिक तथ्यों के आधार पर महिला प्रतिनिधियों की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।

चतुर्थ अध्याय – महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक सशक्तीकरण का प्रभाव में प्राथमिक तथ्यों के आधार पर महिला प्रतिनिधियों का प्रभाव महिला सशक्तीकरण, बालिका शिक्षा, महिलाओं पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा।

पंचम् अध्याय – राजनीति में महिलाओं की समस्याऐं एवं समाधान में प्राथमिक तथ्यों के आधार पर महिला प्रतिनिधियों की समस्याओं और समाधानों का विश्लेषण किया जाएगा।

षष्ठम् अध्याय – निष्कर्ष में शोध विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाऐंगे।

साहित्य अवलोकन

रायजादा (1983) 'वूमेन, यसटरडे, टूडे एण्ड टुमारो, सोशल वेलफेयर' के अनुसार पुरुष और स्त्री के मध्य असमता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से है जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की पारस्परिक अन्तःक्रिया की उपज है।

जैन एवं रेड्डी, (1979) 'रोल ऑफ वूमेन इन रूरल डेवलपमेंट – ए स्टडी ऑफ महिला मण्डल', ने ग्रामीण महिलाओं के अध्ययन में पाया कि ग्रामीण महिलाएँ नगरीय महिलाओं की अपेक्षा लैंगिक असमता की अधिक शिकार हैं। शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से वे पिछड़ी हैं।

मुमताज अली खाँ और नूर आयशा (1982) 'स्टेटस ऑफ रूरल वूमेन इन इण्डिया', ने बंगलौर के गाँवों के का अध्ययन उनकी शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक दशा, सामाजिक संगठन, सहभागिता तथा सामाजिक विचारों के संदर्भ में किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाएँ शोषण का शिकार हैं। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए तथा कार्यक्रमों, नियमों तथा नीतियों से ग्रामीण महिलाओं को परिचित कराया जाना चाहिए। महिला मण्डल का भी विस्तार किया जाना चाहिए।

झाँसी रानी और ए.एम. भावे (1981) 'डिसिजन मेकिंग पेर्टन एमंग रूरल फैमिलीस', ने आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के ह्यात नगर ब्लाक की ग्रामीण महिलाओं की निर्णय–प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि भूमि की खरीद, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि के

क्रय की निर्णय प्रक्रिया में पति की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षा तथा संतान के विवाह के मामलों में पति और पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन और वस्त्र से सम्बन्धित मामलों में पत्नी का निर्णय महत्वपूर्ण होता है।

जालान, राज (2002) ने अपने अध्ययन 'विकास एवं ग्रामीण महिला परिवर्तनशील आयाम' में पाया कि ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, धारणा एवं विश्वास में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, किन्तु यह परिवर्तन सीमित प्रवृत्ति का है। वे परम्पराओं के बंधन, पारिवारिक, जातिगत एवं ग्रामीण परम्पराओं का खण्डन करना नहीं चाहती। परम्पराओं के दायरे में रहते हुए वे सीमित मात्रा में नगरीकरण से जुड़ी मनोवृत्ति का प्रदर्शन करती हैं। विवाह की आयु, विवाह निर्धारण की रीति तथा अन्तर्जातीय विवाह के प्रति उनका दृष्टिकोण सामान्यता परम्परावादी है। केवल सीमित मात्रा में उच्च जाति की शिक्षित महिलाओं ने पुरानी परम्पराओं से थोड़ा हटने का प्रयास किया है। उनका परिवर्तनशील दृष्टिकोण स्थापित परम्पराओं के अन्तर्गत है न कि उनसे बाहर।

आशारानी व्होरा (2005) 'भारतीय नारीः अस्मिता और अधिकार' ने स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति पर विचार स्पष्ट किया है उनके अनुसार, 'शैक्षणिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में स्त्री ने इन अड़तालीस वर्षों में जितना पाया, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में उतना ही खो दिया है। यह सब आखिर क्यों और कैसे हुआ? वस्तुतः किसी भी मनुष्य को एक कार्य दिया जाय तो वह सरलता से कर सकता है पर घर–बाहर, पति–बच्चे, ऑफिस, बाजार, मेहमान – इन सबके साथ भूमिका निभाते–निभाते कहीं न कहीं चूक होना स्वाभाविक

ही है। यदि सभी उसे अपना समझकर सहयोग दें तो आश्चर्य नहीं कि वह किसी भी कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित न कर सकेगी।'

देशपाण्डे, सलोचना श्री हरि (2006) 'भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ', ने कहा है कि आज के आधुनिक युग में समाज का एक वर्ग पुराने ढर्रे पर ही चलता है। आज नारी की सुरक्षा और अधिकार के लिए 'नारी हितैषी कानून' बने हैं। अब विधवा विवाह समाज में गलत नहीं माना जाता। आज नारी जिस शिखर पर पहुँचने के लिए संघर्षरत है, उसके पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी कस्बाई विचारधारा के लोग रूढ़ियों के तहत नारी के घर से बाहर निकलकर नौकरी करने के पक्ष में नहीं हैं। वे बाहर की दुनिया से नारी का सम्बन्ध बनने नहीं देना चाहते; क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं नारी पुरुषों के हाथों से निकल न जाये, अपनी मनमर्जी की मालकिन न बन बैठे। विश्वास की कमी या हीन भावना के कारण भी स्त्रियाँ आगे नहीं बढ़ पातीं और ऊपर से परिवार के सदस्य उनकी कमियों में इजाफा करते रहते हैं। कहीं–कहीं तो खुद स्त्रियाँ भी रूढ़ियों को तोड़ने में हिचक महसूस करती हैं; क्योंकि उनके हृदय पर थोपे गये संस्कारों की अमिट छाप पड़ी होती है। उन्हें तोड़ने में नारियों को सदियाँ लगेंगी। स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण धीरे–धीरे बदल रहा है।

छवि श्रीवास्तव (2007) ने अपने अध्ययन 'सूचना का अधिकार और महिला सशक्तीकरण' में व्यक्त किया कि महिलाएँ समाज की महत्वपूर्ण धुरी हैं। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन महिलाएँ आज भी विषमता की स्थिति में जी रही हैं। उसे अबला समझा जाता है। शक्ति स्वरूपा नारी के सशक्तीकरण के लिए देश और दुनिया में मजबूत नारे लगाये जा रहे हैं तथा अनेक योजनाएं और प्रकल्प चल रहे हैं। सशक्तीकरण

का अभियान यह संकेत करता है कि वे समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर शक्तिहीन हैं तभी तो सशक्तीकरण की अनुगूंज ध्वनित हो रही है। जेण्डर अब मुद्दा बन गया है।

जवाहर लाल सिंह एवं आर.के. पाण्डेय, (2010–11) 'विमिन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर : प्रोब्लम्स एण्ड प्रोसपेक्ट्स, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में 48.26 प्रतिशत भाग महिलाओं का रहा है तथा 25.67 प्रतिशत महिला जनसंख्या विभन्न अर्थोपादक कार्यों में संलग्न है। लगभग 80 लाख लोग भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जिनमें से 24 लाख महिलाएँ हैं। भारतीय संविधान विश्व में कुछ ऐसे संविधानों में से एक है जिसमें महिला एवं पुरुष को समान अधिकार देने का दावा किया जाता है चाहे किसी भी समाज में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात की जाये लेकिन महिलाओं को हमेशा द्वितीयक ही रखा जाता है। महिलाओं के योगदान को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि पुरुषों के योगदान को।

व्होरा, आशारानी (2011) 'औरत कल, आज और कल', में कहा है कि अब स्त्री संभलने लगी है। अपनी क्षमताओं के साथ वह अपनी सीमाओं को पहचानने लगी है। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की बड़ी संख्या तरह–तरह के शोषण की शिकार है। रोजगार करने वाली स्त्रियों का केवल 6 प्रतिशत ही उन संगठित संस्थानों में काम करता है, जहाँ नियम–कानून हैं। शेष 94 प्रतिशत के लिए श्रमिक–कानून कोई मायने नहीं रखता। पुरुषों के समान पारिश्रमिक पाने और मातृत्व की जिम्मेदारी के कारण अपेक्षित कानूनी व सामाजिक सुविधाएँ पाने की मांग की वजह से उन्हें नौकरियों के उपयुक्त ही नहीं समझा जाता। मालिक लोग औद्योगिक विकास की

प्रक्रिया में स्त्रियों का स्थान पुरुषों और यंत्रों को देने लगे हैं, जिससे स्त्रियों की श्रम–शक्ति का ह्रास हो रहा है। स्त्रियों की क्षमता और कार्य–कुशलता के बारे में पुरुषों के दिमाग में आज भी परम्परागत धारणाएँ मौजूद हैं, जिनके कारण स्त्रियाँ स्वये को आर्थिक, सामाजिक व नैतिक रूप से भी असुरक्षित अनुभव करती हैं।

प्रधान, बिजेन्द्र एवं वर्मा, टिक्कम दास (2012) 'महिलाओं का अधिकार – हिंसा मुक्त जीवन' ने अपने अध्ययन में व्यक्त किया कि हम मानव अधिकार की बात करते है। क्या महिलायें मानव नहीं है और उन्हें स्वतन्त्र रूप से जीने का अधिकार नहीं है। सबसे बडा महिलाओं का अधिकार है हिंसा मुक्त जीवन व्यतीत करना। चाहे वह किसी देश धर्म, जाति या वर्ग की हो।

प्रस्तावित शोध पद्धति

प्रस्तावित शोध पद्धति में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऐतिहासिक शोध विधि द्वार अतीत के विचारों के आधार पर वर्तमान में प्रांसगिकता ज्ञात करना इस विधि के ग्रंथलयों से विचारों की विगत घटनाओं एवं प्रकृतियों के आधार पर वर्तमान परिदृश्य को समझा जा सकेगा। विश्लेषणात्मक विधि द्वारा पहले से उपलब्ध तथ्यों या जानकारी का उपयोग किया जाएगा ओर इस सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए उसका विश्लेषण किया जाएगा। तुलनात्मक शोध विधि के अंतर्गत किन्हीं मानदंडों के आधार पर दो या दो से अधिक परिस्थिति अथवा तथ्यों की तुलना की जा सकेगी। शोध हेतु अनेको प्रकार की सामग्री के संकलन हेतु प्राथमिक सामग्री व द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। इस शोध कार्य में ग्रामीण विकास में महिला सरपंचों की भूमिका संबंधित विचारों का विश्लेषण हेतु द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा जो निम्नलिखित है –

- पुस्तकालय में उपलब्ध सूचनाऐं
- पुस्तकें
- लेख व पत्र–पत्रिकाऐं
- पांडुलिपि
- पूर्व में हुए शोध अध्ययन।

महिला प्रतिनिधियों के विचारों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता हेतु प्राथमिक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा।

1. साक्षात्कार
2. अनुसूची
3. प्रश्नावली

वर्तमान काल के विद्वानों द्वारा लिखित साहयक ग्रंथों से सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। अनेक पत्र–पत्रिकाओं, इंटरनेट जर्नल, शोध ग्रंथों आदि की सहायता ली जाएगी। इस अध्ययन में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं विकासात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाएगा। इस शोध के दौरान सार्थक पुस्तकों और लेखक दस्तावेजों और अन्य स्त्रोतों की सहायता ली जाएगी जिससे अध्ययन में समग्रता होगी।

शोध प्रश्न

1. क्या महिला सशक्तीकरण वर्तमान में मात्र एक दिखावा है?

2. क्या राजनीति में महिलाओं को निम्न स्तर का माना जाता है?

3. क्या महिला प्रतिनिधियों के पीछे उनके पति, पिता और भाई ही राजनीति करते है?

4. क्या संवैधानिक प्रावधानों ने केवल राजनीति में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्तन किया है परंतु उनमें गुणात्मकता की कमी है?

5. क्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्य महिला सशक्तीकरण के प्रमुख अवरोध है?

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. देशपाण्डे, सलोचना श्री हरि (2006): भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर.

2. जवाहर लाल सिंह एवं आर.के. पाण्डेय, (2010–11) 'विमिन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर : प्रोब्लम्स एण्ड प्रोसपेक्ट्स,विमिन्स स्टडीज सेन्टर, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।

3. जालान, राज (2002) : विकास एवं ग्रामीण महिला परिवर्तनशील आयाम, प्रमोद बुक हाउस, वाराणसी, पृ. 241.

4. जोसेफ, मौली;(2013): ''वूमन पार्टीसिपेशन एंड डेवलपमेट स्ट्रेटजी'' राउटलेज पब्लिकेशन

5. खान, एम. ए. एण्ड एन. आयशा (1982): स्टेटस ऑफ रूरल वूमेन इन इण्डिया, उप्पल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली

6. महाजन, धर्मवीर और महाजन, कमलेश;(1996): ''कंटेम्पररी इंडियन वूमन'' दीप प्रकाशन, नई दिल्ली

7. मेत्रा, अंजना;(1985): ''वूमन इन ए चेन्जिग सोसाइटी'' कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, कैम्ब्रिज

8. प्रधान, बिजेन्द्र एवं वर्मा, टिक्कम दास (2012) महिलाओं का अधिकार – हिंसा मुक्त जीवन, इण्डियन स्ट्रीम रिसर्च जर्नल, फरवरी, वा. 2, इशू 1.

9. रायजादा, एम.के. (1983): वूमेन, यसटरडे, टूडे एण्ड टुमारो, सोशल वेलफेयर, फरवरी–मार्च, वा. 29, नं. 11–12, पृ. 16–17.

10. रानी, जे. एण्ड ए.ए.म भावे (1981): डिसिजन मेकिंग पेर्टन एमंग रूरल फैमिलीस, इण्डियन जर्नल ऑफ एडल्ट एजूकेशन, 42(9), पृ. 15–20

11. साकिया, पी.डी.;(2016): ''इंडियन रूरल वूमन'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर

12. श्रीवास्तव, छवि (2007) : सूचना का अधिकार और महिला सशक्तीकरण, सोसाइटी फार मीडिया ऐण्ड सोशल डेवलपमेंट, वाराणसी.

13. सरकार, एस.पी. एण्ड वी.के. रेड्डी (1979) : रोल ऑफ वूमेन इन रूरल डेवलपमेंट – ए स्टडी ऑफ महिला मण्डल, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद

14. व्होरा, आशारानी (2011) : औरत कल, आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, पृ. 17–31.

15. व्होरा, आशा रानी (2005) : भारतीय नारी: अस्मिता और अधिकार, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, पृ. 17.

16. बेगलर,ऐलसी., ''सेक्स, स्टेटस एंड ऑथोरिटी,'' अमेंरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1978

17. रॉस,मार्क., ''फीमेल पॉलीटिकल पार्टिसिपेशन,'' अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1986

18. मार्टिन, ''फीमेल ऑफ द स्पीशिज,'' न्यूयार्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975

19. व्हाइट, ''द स्टेटस ऑफ वीमिन इन प्रीइंडस्ट्रीयल सोसायटी,'' प्रीस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रीस्टन, 1978

20. गुप्ता,दीपांकर; पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ओरिएंट लोगमैन, 2000
21. भारद्वाज,प्रेम; जेन्डर,डिस्क्राइमिनेशन,पॉलिटिक्स ऑफ विमिन एमपॉवरमेंट, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2001.
22. सेल्युएम, एस; एमपॉवरमेंट एंड सोशिल डेवलपमेंट इश्यू इन कम्यूनिटी पॉर्टिसिपेशन, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003
23. हटकन, द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मार्डनिज्म, राउटलेज, लंदन, 1998
24. रोजेमबर्ग, द पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वर्सो, यू.के. 1999
25. महापत्र, सुभाष; डेवलपमेंट ऑफ विमिन चैलेंजस् एंड रिस्पोंस, सागे और पिन फोर्ज प्रेस, लंदन, 2000
26. बंदोपाध्याय, डी. और मुखर्जी, अनिता; एमपॉवरिंग विमिन पंचायत मेम्बरर्स, राजीव गाँधी फाउंडेशन, नई दिल्ली, 2001
27. शेट्टी,ई., मूर्ति, पी.कृष्णन्; विमिन एमपॉवरमेंट, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002
28. वर्मा, एन. के., मिडिया एंड विमिन, मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1999
29. आर्नल्ड मैथ्यू; कल्चर एण्ड एनार्की, सं. डी.विल्सन, लंदन, रूटलेज एण्ड केगन पाल, 1960
30. अल्थूसर,लुई; आइडियोलॉजी एण्ड आइडियोलॉजिकल स्टेट आपरेटसेज, लेनिन एण्ड फिलॉसफी, लंदन, एन.एल.बी. में संकलित, 1971
31. अमर्त्य सेन; सोशियलिज्म मार्केट्स एण्ड डिमाक्रेसी, दि इण्डियन इकोनॉमिक जर्नल, खण्ड 37, अंक 4, अप्रेल–जून, 1990
32. धर्मपाल; द ब्यूटीफुल ट्री, नई दिल्ली, बिब्लियास इंप्लेक्स, 1981
33. प्रसाद, किरण; विमिन ग्लोबलाइजेशन एंड मास मिडिया, द विमिन प्रेस, नई दिल्ली, 2007

शोध ग्रंथावली

1. ग्रामीण विकास में महिला सरपंचों की भूमिका – सी.एल. साहू

2. पंचायती राज में महिला सरंपचों की भागीदारी – ए. भारद्वाज

3. पंचायती राज में महिला नेतृत्वः राजस्थान के अलवर जिले के संदर्भ में – प्रिया कुमारी

4. पॉलीटिकल रोल ऑफ वीमिन इन पंचायतीराज – रति जांगिड

5. ग्राम पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिका – सुरेखा शिंदे

6. पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण – सीमा सिंह

7. भारत में महिला सशक्तीकरण – डॉ. खरे

वेब लिंक्स

https://www.google.co.in/search?q=jhunjhunu+tehsil

https://www.hindibook.com/index.php?p=sr&format=fullpage&Field=bookcode&String=97881

71327928

http://www.ignited.in/I/a/252680

http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/hi

http://www.biharpanchayat.gov.in

http://www.needkart.co.in

http://www.journaloplicitcalscience.com

http://www.shodhganga.inflibnet.ac.in